# न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2016(रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 22.07.2016

जे.के. सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज. जरिये पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर के. एम. जैन (उपाध्यक्ष) वाणिज्यिक, जे. के. सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री चारभुजाजी स्थान देह (अवयस्क) जरिये आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
2–अध्यक्ष, श्री चारभुजाजी मन्दिर ट्रस्ट ग्राम–मालियाखेड़ी चारभुजाजी स्थान देह, (मालियाखेडी), तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़–राजस्थान

–विपक्षीगण

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत चूना पत्थर खदान मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा स्थित प्रार्थी जे. के. सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा की स्वीकृत माइनिंग लीज के अन्दर प्रभावित होने वाले अप्रार्थीगणों की भूमि पर खनन करने की अनुमति व सरफेस रेंट पर करने बाबत।**

उपस्थितिः 1– श्री मनोहर लाल दक, अधिवक्ता, प्रार्थी कम्पनी
2– निरीक्षक, देवस्थान विभाग, उदयपुर
3– श्री ललित लड्ढ़ा, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**निर्णय**

दिनांक 03.07.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने यह आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उत्पादन करने हेतु राजस्थान सरकार के खान विभाग के आदेश क्रमांक प–14(21)खान/ग्रुप–2/205 दिनांक 16.11.2010 से 20 वर्ष के लिए प्रथम नवीनीकरण चूना पत्थर खदान मालियाखेड़ा के नाम से 315.4090 हैक्टेयर भू क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत शुदा है। वांछित भूमि खनन पट्टे की लीज सीमा के अन्दर होकर चालु खनन पीट के नजदीक होकर डेन्जर जोन में है, इसे खनन कार्य हेतु ली जाना आवश्यक है। यह खनन पट्टा क्षेत्र पांच ग्रामों की सीमाओं में मालियाखेड़ी, पिपलियागादिया, बांसा, भट्टकोटडी व फलवा में होकर संलग्न खसरा मानचित्र में

ए, पी, ए, बी, सी, डी, क्यू, डी, आर, एस, ई, एफ, एस, एच बिन्दुओं के मध्य स्थित है। माइन्स की सीमा रेखा लाल रंग से दर्शायी गई है।

प्रस्तुत जमाबंदी में निम्नांकित आराजी विपक्षी संख्या 1 श्री चारभुजाजी स्थान देह के नाम खातेदारी हक से अंकित है, आराजी का विवरण इस प्रकार है:-

| नाम ग्राम | खसरा नम्बर | क्षेत्रफल हैक्टेयर मे | किस्म |
|---|---|---|---|
| मालियाखेड़ी | 333 | 0.90 | चाही 3 |

उक्त भूमि खदान के लीज सीमा में होकर इसे खनन कार्य हेतु सरफेस रेंट पर ली जाना आवश्यक है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रहने पर प्रार्थी द्वारा खनन कार्य करना असम्भव है। उक्त भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि व सोलिशियम राशि का भुगतान कराते हुए भूमि को बिलानाम सरफेस रेंट पर खनन प्रयोजनार्थ दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से निरीक्षक देवस्थान विभाग, उदयपुर ने उपस्थिति दी। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित लड्ढ़ा ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मौका रिपोर्ट व उप पंजीयक निम्बाहेड़ा से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर प्राप्त की गई। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 श्री चारभुजाजी स्थान देह की ग्राम मालियाखेड़ी की आराजी नम्बर 333 रकबा 0.90 है. भूमि प्रार्थी कम्पनी के स्वीकृत खनन क्षेत्र में स्थित होकर, खनन कार्य हेतु आवश्यकता होने से उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारण कर बाद मुआवजा भुगतान उक्त भूमि बिलानाम सरफेस रेंट पर खनन प्रयोजनार्थ दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावे।

देवस्थान निरीक्षक, उदयपुर का मुख्य कथन यह रहा कि आयुक्त देवस्थान विभाग को पूण्यार्थ-विन्यास का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिससे श्री चारभुजाजी मन्दिर मालियाखेड़ी की खातेदारी की कृषि भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ही है। अतः मुआवजा राशि देवस्थान विभाग को ही दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मंदिर की सेवा-पूजा के लिए गांव मालियाखेड़ी के व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट बनाया गया है जो कि सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्ट है। उक्त ट्रस्ट द्वारा मंदिर की आराजीयात की व्यवस्था की जा रही है यदि मंदिर की भूमि खनन कार्य हेतु ली जाती है तो इसका मुआवजा मंदिर ट्रस्ट को दिलवाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| प्रकरण संख्या 47/2016 (रि.वि.) |
|---|
| जे.के. सीमेंट वर्क्स बनाम श्री चारभुजाजी स्थान देह जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर वगैरा |

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज एरिया में स्थित होकर कम्पनी को उक्त भूमि की खनन प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने से राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर मुआवजा राशि के निर्धारण हेतु निवेदन किया गया है, जिससे खनन प्रयोजनार्थ लिये जाने से पूर्व भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। उप पंजीयक निम्बाहेड़ा ने इस ग्राम की सिंचित/असिंचित/बीड़ भूमि की आबादी एवं सड़क से पास तथा दूर की जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दरों का विवरण प्रस्तुत किया। मौका रिपोर्ट अनुसार इस भूमि में स्थित संरचना व उनकी कीमत का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रमांक | संरचना विवरण | कीमत संरचना(रूपये में) |
|---|---|---|
| 1. | वृक्ष | 16500 |
| | संरचनाओं का कुल योग | 16500 |

उप पंजीयक द्वारा इस भूमि की उच्चतम सिंचित, सड़क व आबादी के पास की दर 12708/-रूपये प्रति एयर होना बताया है। किन्तु भूमि का खनन प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जाने से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर का दुगुना 25416/-रूपये प्रति एयर से भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जाना उचित मानते हैं। अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार संरचनाओं की कीमत व उक्तानुसार भूमि का निम्नानुसार मुआवजा निर्धारण किया जाता है:-

| ग्राम | आराजी नम्बर | क्षेत्रफल है. में | प्रति एयर | देयराशि |
|---|---|---|---|---|
| मालियाखेड़ी | 333 | 0.90 | 25416 | 2287440 |
| | | | कीमत संरचनाएं | 16500 |
| | | | योग | 2303940 |
| | | | 100 प्रतिशत सोलिशियम | 2303940 |
| | | | कुल देय राशि | 4607880 |
| अक्षरे छियालीस लाख सात हजार आठ सौ अस्सी रूपये मात्र/- | | | | |

जहां तक भुगतान करने का प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 37 से आयुक्त, देवस्थान विभाग को पुण्यार्थ विन्यासों का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उक्त अधिनियम के उपबन्ध चेरिटेबल एन्डोमेन्ट्स एक्ट 1890 (सेन्ट्रल एक्ट 6 ऑफ 1890) के अन्तर्गत अधिकृत किया गया है जिससे श्री चारभुजाजी स्थान देह मालियाखेड़ी के मन्दिर भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी देवस्थान विभाग, उदयपुर है जिससे प्रार्थी कम्पनी मुआवजा राशि के भुगतान हेतु आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर के नाम चैक तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को प्रस्तुत करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चूंकि विपक्षी संख्या 2 अध्यक्ष श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट ग्राम मालियाखेड़ी ने उक्त ट्रस्ट को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीयन कराया है जो कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अन्तर्गत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के प्रकरण संख्या 62/2013 निर्णय दिनांक 31.12.2014 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः यदि विपक्षी संख्या 2 अध्यक्ष, श्री चारभुजाजी मन्दिर ट्रस्ट ग्राम-मालियाखेड़ी, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के नियमों के तहत मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हों तो आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर अपने स्तर से विपक्षी संख्या 2 को मुआवजा राशि का भुगतान करावे।

प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु चैक तहसीलदार निम्बाहेड़ा को उपलब्ध करावें। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में संतुष्टि के उपरांत संबंधित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official